न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
757/24	212 RTA	नारेडा	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
भगवानस्वरूप	बनाम	धनराज वगै0

वकील :– श्री ओम भारद्वाज एड0 | **आदेश पत्रक** | वकीलः–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
06.08.2024	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट विरूद्व अप्रार्थी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 18.9.24 को पेश हो। [signature]	
18-9-24	पीठासीन अधिकारी [illegible] में रहने से पूर्ववत दिनांक 6-11-24 को प्रस्तुत हो. [signature] रीडर उपखण्ड अधिकारी बारां	
6-11-24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी क्रम-1 ता 4 के नोटिस अदम तामील प्राप्त हुए। वकील वादी नये पते के साथ तलबी हेतु पुनः तलबाना पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18-12-24 को पेश हो। [signature]	
18-12-24	पत्रावली पेश हुई। बहस्लाम फरीकैन उप0। वकील अप्रार्थी जवाब हेतु समय चाहते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 5-2-25 को पेश हो। [signature]	
5-2-25	पीठासीन अधिकारी [illegible] में रहने से पूर्ववत दिनांक 28-3-25 को प्रस्तुत हो. [signature] रीडर उपखण्ड अधिकारी बारां	
28-3-25	पीठासीन अधिकारी [illegible] में रहने से पूर्ववत दिनांक 2-6-25 को प्रस्तुत हो. [signature] रीडर उपखण्ड अधिकारी बारां	

निर्णय व इजलास श्री विश्वजीत सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 75/2024
दायरा दिनांक :– 06.08.2024
निर्णय दिनांक :– 13/8/2025

उनवान

1. भगवानस्वरूप पुत्र बद्रीलाल दत्तक पुत्र परशुराम जाति छीपा निवासी छीपा मोहल्ला बारां तहसील बारां जिला बारां

–प्रार्थी

बनाम

1. धनराज पुत्र रामपाल जाति माली
2. नन्दकिशोर पुत्र रामपाल जाति माली
3. गजानंद पुत्र रामपाल जाति माली
4. श्रीराम पुत्र रामलाल जाति माली निवासीगण नारेडा तहसील बारां जिला बारां राज0
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 13/8/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओम भारद्वाज एड – प्रार्थी
2. श्री मदनलाल गालव एड – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दावा पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम माल नारेडा पटवार हल्का नारेडा तहसील बारां की जमाबन्दी 2072–75 में खाता संख्या नया 221 पुराना 212 की आराजी खसरा नं0 146 रकबा 1.51 हे0, स्थित तथा इसी प्रकार ग्राम नारेडा पटवार हल्का नारेडा तहसील बारां जिला बारां में खाता संख्या नया 318 पुराना 293 की आराजी खसरा नं0 148 रकबा 1.75 हे0, स्थित है। जिसको आगे वाद पत्र/प्रार्थना पत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। कि ग्राम नारेडा की आराजी खसरा नं0 146 रकबा 1.51 हे0, का खातेदार कृषक प्रार्थी है तथा खसरा नं0 148 रकबा 1.75 हे0 आराजी अप्रार्थीगण के पिता रामलाल पुत्र घांसी जाति माली के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसका देहान्त लगभग 2 माह पुर्व हो चुका है परन्तु राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के पिता का नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के खातेदारी की आराजी की मेड पर अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 148 रकबा 1.75 हे0 स्थित है तथा अप्रार्थीगण उक्त खेत की मेड तोडकर प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 146 रकबा 1.51 हे0 को अप्रार्थीगण की आराजियात में मिलाने का

उपखण्ड अधिकारी
बारां

प्रयास कर रहै है। तथा मौके पर स्थित मेड को भी अप्रार्थीगण द्वारा तोड दिया गया है। अप्रार्थीगण अपने खातेदारी की आराजी की आड में प्रार्थी की आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है प्रार्थी द्वारा बारां में निवास करता है इसी का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजियात की उगी फसल को भी नुकसान पहुचाते है तथा अनैतिक तरीको से परेशान कर वादी की आराजी पर कब्जा करना चाहते है जबकि ऐसा करने का अप्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बारां को अपनी भूमि की पैमाईश करने तथा अप्रार्थीगण को जबरन प्रार्थी की आराजी को अपनी आराजी में मिलाने का प्रयास कर रहै है। उस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये परन्तु तहसीलदार महोदय बारां द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गई इस कारण प्रार्थी अपनी आराजियात को बचाने के लिये तथा साम्पत्तिक अधिकारों के संरक्षण के लिये अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है। दिनांक 30.06.2024 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से मेड को वापस व्यवस्थित कर अपनी खातेदारी की आराजियात को काश्त करने हेतु कहा गया तो अप्रार्थीगण लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये तथा अप्रार्थीगण द्वारा कहा गया कि हम जहॉ तक खेती कर रहै है वहीं तक करेगें तुझे जो कार्यवाही करनी हो करले कोई भी हमारा कुछ नही बिगाड सकता। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन भी हर प्रकार से प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण अपने मकसब मे कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना संभव नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह प्रार्थी के खाते की आराजी वाके ग्राम नारेडा तहसील बारां में स्थित खसरा नं0 146 रकब 1.51 हे0 पर किसी भी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं उत्पन्न करे न अपने प्रतिनिधी से करावे प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा रेकार्ड एवं मौके की यथास्थित बनाई रखी जावें अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम नारेडा सम्वत 2072–2075 खाता संख्या नया 221 पुराना 212, नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत 2072–2075 खाता संख्या नया 318, पुराना 293, नकल नक्शा एवं जमाबन्दी नारेडा खाता संख्या नया 221, पुराना 212, खसरा संख्या 146, पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है, कि वाके ग्राम माल नारेडा पटवार हल्का नारेडा तहसील बारां की जमाबन्दी 2072–75 में खाता संख्या नया 221 पुराना 212 की आराजी खसरा नं0 146 रकबा 1.51 हे0 का खातेदार कृषक प्रार्थी है तथा ग्राम नारेडा पटवार हल्का नारेडा तहसील बारां जिला बारां में खाता संख्या नया 318 पुराना 293 की आराजी खसरा नं0 148 रकबा 1.75 हे0 आराजी अप्रार्थीगण के पिता रामलाल पुत्र घांसी जाति माली के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसका देहान्त लगभग 2 माह पुर्व हो चुका है परन्तु राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के पिता का नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के खातेदारी की आराजी की मेड पर

उपखण्ड अधिकारी
बारां

अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 148 रकबा 1.75 हे0 स्थित है तथा अप्रार्थीगण उक्त खेत की मेड तोडकर प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 146 रकबा 1.51 हे0 को अप्रार्थीगण की आराजियात में मिलाने का प्रयास कर रहै है। तथा मौके पर स्थित मेड को भी अप्रार्थीगण द्वारा तोड दिया गया है। अप्रार्थीगण अपने खातेदारी की आराजी की आड में प्रार्थी की आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है प्रार्थी बारां में निवास करता है इसी का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजियात की उगी फसल को भी नुकसान पहुचाते है तथा अनैतिक तरीको से परेशान कर वादी की आराजी पर कब्जा करना चाहते है जबकि ऐसा करने का अप्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी अपनी आराजियात को बचाने के लिये तथा साम्पत्तिक अधिकारों के संरक्षण के लिये अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन भी हर प्रकार से प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण अपने मकसब मे कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना संभव नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह प्रार्थी के खाते की आराजी वाके ग्राम नारेडा तहसील बारां में स्थित खसरा नं0 146 रकब 1.51 हे0 पर किसी भी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं उत्पन्न करे न अपने प्रतिनिधी से करावे प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा रेकार्ड एवं मौके की यथास्थित बनाई रखी जावें अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है, ग्राम नारेडा पटवार हल्का नारेडा तहसील बारां जिला बारां में खाता संख्या नया 318 पुराना 293 की आराजी खसरा नं0 148 रकबा 1.75 हे0 खसरा नं0 148 रकबा 1.75 हे0 उत्तरदाता के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण उक्त खेत की मेड को तोडकर खसरा नं0 146 रकबा 1.51 हे0 को प्रतिवादीगण की आराजियात में मिलाने का प्रयास करना तथा प्रतिवादीगण द्वारा मेड को तोड दिया जाना नितान्त असत्य एवं मिथ्या कथन होने से अस्वीकार है। वादी की आराजी पर कभी भी प्रतिवादीगण ने फसल को नुकसान नही पहुचाया ओर न ही कब्जा करना चाहते है। वादी स्वयं अपने प्रभावी होने ताकतवर होने तथा धनबल से सम्पन्न होने एवं असामाजिक तत्वों से साठ गाठ होने का दबाब देकर प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नं0 148 में मेड तोडकर जबरन प्रवेश कर कब्जा करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से रोकने व मना करने के कारण झुठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है ओर इस मुकदमे की आड में वह प्रतिवादीगण की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है। वादी अपनी आराजी की पैमाईश नही करवाता है तथा जबरन मेड तोडकर प्रतिवादीगण की आराजी पर कब्जा करना चाहता है। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नही है। दिनांक 30.06.2024 को प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का लडाई झगडा नही किया गया है न ही मेड के सम्बन्ध में वादीगण से बातचीत हुई है। दिनांक 03.04.2024 को भी उसके द्वारा मेड तोडकर खेत में अतिक्रमण कर कब्जा करने का प्रयास किया उत्तरदाता प्रतिवादीगण द्वारा विरोध करने पर मारपीट करने पर आमादा हुआ जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना सदर बारां में प्रतिवादीगण की ओर से करवाई गई है। इसके बाद भी दो तीन बार बीच बीच में मेड व

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

53/15

तार बाड तोडकर मेड को नष्ट करने पर प्रतिवादीगण के खेत में कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। एवं 10.05.2025 को भी वादी द्वारा प्रतिवादीगण के खेत में घुसने व मेड पर लगी तार बाढ तोडने व मेड को तोडकर प्रतिवादीगण के खेत पर कब्जा करने को असफल प्रयास किया गया इस तरह वादी प्रतिवादीगण के खेत पर अनाधिकार कब्जा करना चाहता है जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार नही है। वादी प्रार्थी उसके खेत पर काबिज है अप्रार्थीगण अपने खेत पर काबिज है अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थी के खेत पर कब्जा पर कब्जा करने का प्रयास नही किया न ही मेर को तोडा है। कोई वाद कारण पैदा नही हुआ है इसलिये वाद प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार ग्राम नारेडा पटवार हल्का नारेडा तहसील बारां की जमाबन्दी 2072–75 में खाता संख्या नया 221 पुराना 212 की आराजी खसरा नं0 146 रकबा 1.51 हे0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है तथा ग्राम नारेडा पटवार हल्का नारेडा तह0 बारां जिला बारां में खाता संख्या नया 318 पुराना 293 की आराजी खसरा नं0 148 रकबा 1.75 हे0, भूमि अप्रार्थीगण के पिता के खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि ख0नं0 146 रकबा 1.51 है0 भूमि को अप्रार्थीगण की आराजियात में मिलाने का प्रयास कर रहे है तथा मेड को व्यवस्थित कर अपनी अपनी खातेदारी की आराजीयात को काश्त करने हेतु कहा जाने पर लडाई झगडा करने पर आमादा हो जाते है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजियात में उगी फसल को भी नुकसान पहुंचाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम नारेडा पटवार हल्का नारेडा तहसील बारां की जमाबन्दी 2072–75 में खाता संख्या नया 221 पुराना 212 की आराजी खसरा नं0 146 रकबा 1.51 हे0 भूमि प्रार्थी के स्वयं के खातेदारी भूमि दर्ज है। जो प्रार्थी के कब्जे काश्त की है। चुकि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी की मेड पर अप्रार्थीगण के पिता के नाम की आराजी ग्राम नारेडा ख0नं0 148 रकबा 1.75 है0 स्थित है। मेड पर स्थित होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी जबरन कब्जा करना चाहता है। इसलिए प्रथम दृष्टयां मामला ठोस तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, जो प्रार्थीगण के पक्ष मे है।
2. सुविधा का संतुलन :–मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार ग्राम नारेडा की आराजी ख0नं0 146 रकबा 1.51 है0 भूमि प्रार्थी के खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण जबरन कब्जा करने हेतु लडाई झगडा करने में आमादा रहता है। प्रार्थी अपनी आराजियात को बचाने के लिये तथा साम्पत्तिक अधिकारों के सरंक्षण के लिये अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करनवाने का अधिकारी एवं नालिशी है। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष है।
3. अपूर्णनीय क्षति :– मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार ग्राम नारेडा की आराजी ख0नं0 146 रकबा 1.51 है0 भूमि प्रार्थी के खातेदारी भूमि है। यदि अप्रार्थीगण मूल वाद के निर्णय होने से पहले ही प्रार्थी की खातेदारी आराजियात पर जबरन कब्जा कर लिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
बारां

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम माल नारेडा पटवार हल्का नारेडा तहसील बारां की जमाबन्दी 2072–75 में खाता संख्या नया 221 पुराना 212 की आराजी खसरा नं0 146 रकबा 1.51 हे0 भूमि में अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है, कि उक्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावें तथा किसी प्रकार की मदालखत न तो स्वंय उत्पन्न करे न अपने किसी प्रतिनिधी से करावें। उक्त स्थगन आदेश फोती/विरासत नामान्तरण तथा उक्त विवादित भूमि की पैमाईश/सीमाज्ञान करवाने पर प्रभावी नहीं होगा।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वजीत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां
उपखण्ड अधिकारी
बाराँ